न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 106/2022

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

1.तगाराम 2.देरामाराम 3.राजाराम 4.सवाराम पि.कचराराम
जाति मेघवाल, निवासी चंदाणियों का तला,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– **श्री शाकर खान एच.**
विप्रार्थीगण :–

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 07/05/25

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा चंदाणियों का तला, पटवार हल्का कोनरा, तहसील चौहटन में खसरा सं. 727/530 रकबा 03.4965 हैक्टयर की आई हुई है। इसी मूल खसरा सं. 530 में सरकारी भूमि के दो बट्टा खसरा नम्बर है, जो खसरा नम्बर 719/530 रकबा 03.2375 हैक्टयर, खसरा सं. 724/530 रकबा 02.4281 हैक्टयर है। पिछले एक साल से पहले कपड़े के लट्ठा ट्रेस पर पूरे पटवार हल्का की भूमि का नक्शा बना हुआ था, उस कपड़े के नक्शे में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व सरकारी भूमि की तरमीम सही थी जो आवेदन के साथ सलंग्न परिशिष्ट ए अंकित है उसी अनुसार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त जबसे उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता को आवंटित हुई थी तब से लेकर आज तक है। प्रार्थीगण के पिता स्व.कचराराम को उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा जब आवंटित की गई थी तब उनके मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की गई थी उसी कब्जे काश्त और तरमीम अनुसार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है, प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां बनी हुई है, जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित निवास करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में जब राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन हुआ तब राजस्व कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मौके पर कब्जा काश्त नजरन्दाज कर पुराने कपड़े के नक्शे

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

में कांट छांट कर उक्त तीनों खसरों की तरमीम बिना प्रार्थीगण को कोई सूचना दिये गलत कर दी जो आवेदन पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड की तरमीम में अन्तर आ गया है जिस पर वर्तमान हल्का पटवारी के पास जाकर पुराने नक्शे देखे तो प्रार्थीगण को तरमीम में कांट छांट कर गलत कर दी गई है एवं प्रार्थीगण के सेढ़ा पड़ौसी जो उक्त सरकारी भूमि पर बगैर कब्जा काश्त के अतिक्रमण दर्शाकर भूमि नियमन की लालसा लिये बैठे है उन्होने पटवारी हल्का से मिल कर गलत तरमीम करवा दी है, जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। आवेदन में वर्णित वादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा **131, 136 RLR Act** का स्वीकार किया जाकर मौजा चंदाणियों का तला, पटवार हल्का कोनरा, तहसील चौहटन के खसरा सं. 727/530 रकबा 03.4965 हैक्टयर, खसरा सं. 719/530 रकबा 03.2375 हैक्टयर, खसरा सं. 724/530 रकबा 02.4281 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के परिशिष्ट "A" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त [illegible] निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 03/05/25 [illegible] में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार [illegible] संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परिशिष्ट "A"

"राजस्व अपील सं. 166/2022 उनवान तगाराम देवासी बनाम तहसीलदार-चौहटन" अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट"

"मौके पर कब्जा काश्त अनुसार स्थिति"

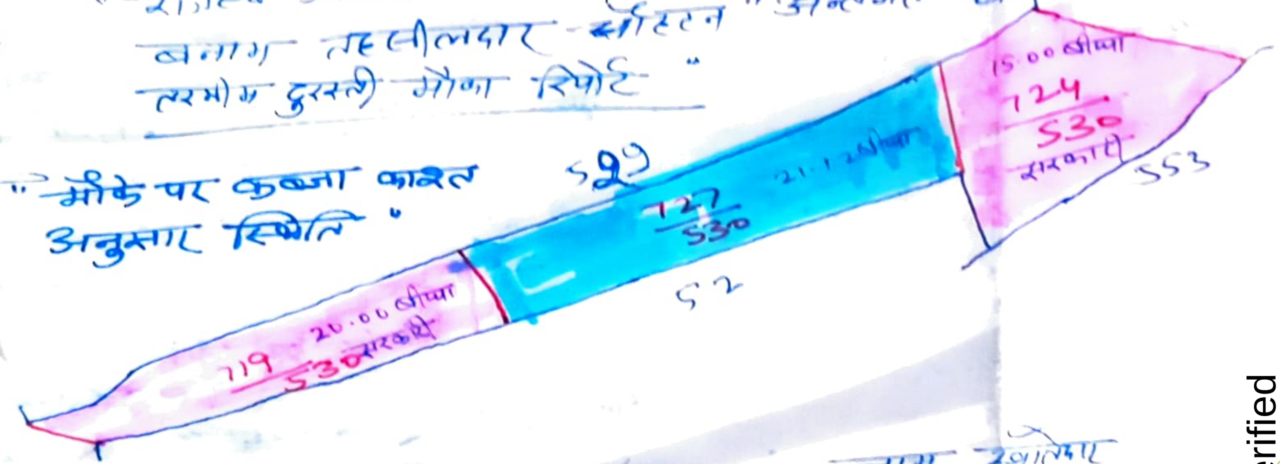

क्र.सं.	ख.न.	रकबा (हैक्टेयर में)	श्रेणी	नाम खातेदार
01.	719/530	3.2375	का. सेयम	राज. सरकार
02.	724/530	2.4281	का. सेयम	राज. सरकार
03.	727/530	3.4965	का. सेयम	सवाराम राजाराम देरामाराम तगाराम पि. वरराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार

Fit-Court

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

भू. कोनरी 29.09.23

29/9/2023
ILR चौहटन
C.S.

तहसीलदार

अ.नि. सवाराम, अ.नि. राजाराम, अ.नि. देराराम, अ.नि. तगाराम

हरजी, हेरसा, सगरा, लूणाराम, लाबूलाल, हाकमराम

अ.नि. लखाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested